राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 689/2017

रमेश चंद जोशी

–अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक प्रथम, भीलवाड़ा।
3. हेमन्त कुमार, संस्थापन अधिकारी, कार्यालय उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, अजमेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.04.2017
आदेश की दिनांक : 12.06.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक के पद पर जिला नियोजन कार्यालय, भीलवाड़ा एवं जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा प्राप्त अभ्यार्थियों की सूची में से चयन समिति द्वारा चयन कर जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा आदेश दिनांक 06.11.1976 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त किया गया, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 08.11.1976 को कार्यग्रहण किया तथा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 08.11.1977 (अनुलग्नक–2) से स्थाई किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 3 को कार्यालय उप निदेशक महिला शिक्षा विभाग, जोधपुर के आदेश दिनांक 01.02.1977 द्वारा अस्थाई रूप से कनिष्ठ लिपिक के पद पर लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने अथवा अधिशेष अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक तथा संबंधित अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर जो भी पूर्व में हो, के लिये नियुक्त किया गया। अपीलार्थी, प्रत्यर्थी संख्या 3 से पूर्व दिनांक 08.11.1976 से कार्यरत है। प्रत्यर्थी संख्या 3 अपीलार्थी से कनिष्ठ है। अपीलार्थी का जन्म दिनांक 03.02.1956 है तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 का जन्म दिनांक 02.08.1958 है। जन्म दिनांक के आधार पर भी प्रत्यर्थी संख्या 3 अपीलार्थी से कनिष्ठ है। अपीलार्थी की वर्ष 1982–83

की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठ लिपिक के पद पर शिक्षा उप निदेशक द्वारा पदोन्नति प्रदान की गई। वर्ष 2004–05 की रिक्तियों के विरूद्ध अपीलार्थी को कार्यालय सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा राज्य स्तर पर वरिष्ठता के अनुसार आदेश दिनांक 10.08.2015 (अनुलग्नक–2) द्वारा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम–32 एवं परिशिष्ट–1 के अन्तर्गत गठित विभागीय समिति की बैठक द्वारा चयनोपरान्त अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 3 को वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वेतन श्रृंखला 9300–34800 ग्रेड पे 4200 में पदोन्नति प्रदान की गई, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 3 का नाम क्रम संख्या 27 पर तथा अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 52 पर अंकित है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने आदेश दिनांक 10.12.2015 (अनुलग्नक–5) द्वारा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम–32 परिशिष्ट–1 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नति की गई, जिसमें अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 3 को भी प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत किया गया, जिसमें अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 3 का नाम क्रम संख्या 14 एवं अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 25 पर अंकित है। अपीलार्थी, प्रत्यर्थी संख्या 3 से वरिष्ठ है। नियमानुसार अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 3 से पूर्व संस्थापन अधिकारी के पद पर पदोन्नति किया जाना चाहिए, परंतु प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलार्थी के प्रत्यर्थी संख्या 3 से वरिष्ठ होने के बावजूद प्रत्यर्थी संख्या 3 को अनुचित रूप से सेवा नियमों के विपरित जाकर आलौच्य आदेश दिनांक 14.01.2016 (अनुलग्नक–6) द्वारा संस्थापन अधिकारी के पद पर अपीलार्थी से पूर्व प्रत्यर्थी संख्या 3 को वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान करते हुये ग्रेड पे 6000 में स्थायीकरण किया गया तथा अपीलार्थी को उक्तपदोन्नति से वंचित किया गया। अपीलार्थी को राजकीय सेवा नियमों के अनुसार अधिवार्षिक आयु 60 वर्ष होने के कारण राजयकी सेवा से सेवानिवृत किया गया। अपीलार्थी प्रशासनिक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुआ तथा पेंशन परिलाभ प्राप्त करने हेतु पेंशन कुलक आदि भरकर उक्त लाभ प्राप्त किया तथा मई, 2016 में अपीलार्थी को यह ज्ञान हुआ कि प्रत्यर्थी विभाग ने प्रत्यर्थी संख्या 3 को जनवरी, 2016 में ही संस्थापन अधिकारी के पद पर पदोन्नति करते हुए ग्रेड पे 6000 दी गई तथा अपीलार्थी वरिष्ठ होने के बावजूद उक्त पदोन्नति प्रदान नहीं की गई। अपीलार्थी ने संस्थापन अधिकारी के पद पर पदोन्नति के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक

06.06.2016 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया लेकिन उसका कोई निस्तारण नहीं किया गया।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को भी प्रत्यर्थी संख्या 3 से पूर्व वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध संस्थापन अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे तथा ग्रेड पे 6000 प्रदान करते हुए समस्त ऐरियर का भुगतान एवं पेंशन परिलाभों का भुगतान मय 12 प्रतिशत ब्याज दिलाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वरिष्ठता सूचियों का संधारण, संस्थापन अभिलेखों के अनुसार किया जाता है किंतु विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति के समय प्रत्येक कार्मिक की कार्यक्षमता, कर्तव्य परायणता आदि से संबंधित कार्यालय अध्यक्ष की टिप्पणी आदि का विचारण प्रत्येक कार्मिक के लिए किया जाता है। अपीलार्थी ने जो उदाहरण प्रत्यर्थी संख्या 3 का प्रस्तुत किया है वह तर्कसंगत नहीं है। श्री हेमंत गहलोत का कार्यालय सहायक पद पर वर्ष 2003–04 में डीपीसी द्वारा चयन किया गया जबकि अपीलार्थी का कार्यालय सहायक पद पर 2004–05 में डीपीसी द्वारा चयन कर पदोन्नति की गई है श्री गहलोत, अपीलार्थी से वरिष्ठतम है। मंडल कार्यालयों द्वारा कार्यालय सहायकों की जारी स्थाई वरिष्ठता सूची के आधार पर निदेशालय स्तर पर कार्यालय अधीक्षकों की डीपीसी हेतु राज्य स्तरीय मिश्रित वरिष्ठता सूची का निर्माण कर कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर डीपीसी की जाती है। अपीलार्थी कार्यालय सहायक पद पर वर्ष 2004–05 में चयन हुआ है। जबकि श्री गहलोत का कार्यालय सहायक पद पर वर्ष 2003–04 में डीपीसी द्वारा चयन होने से वरिष्ठतम है। उसी के अनुसार अपीलार्थी का प्रशासनिक अधिकारी पद पर वर्ष 2015–16 में चयन किया गया तथा संस्थापन अधिकारी के पद पर रिव्यू रिविजन के तहत पदोन्नति विभागीय चयन समिति द्वारा की गई। श्री हेमन्त गहलोत से अपीलार्थी कनिष्ठ है। सेवानिवृति के पश्चात पदोन्नति का लाभ मांगा जाना आधारहीन है। राजकीय सेवा में रहते हुए विभिन्न पदोन्नतियां प्राप्त करते समय अपीलार्थी ने कोई असंतोष व्यक्त नहीं किया क्योंकि इनकी स्थितियां अनुरूप उचित समय पर इन्हें पदोन्नतियों का लाभ प्रदान किया गया है। कनिष्ठ लिपिक का नियुक्ति अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक है। जिले में वरिष्ठता लिपिकों की वरिष्ठता कार्य नियुक्ति अधिकारी द्वारा सम्पन्न किया जाता है। वरिष्ठ लिपिक एवं कार्यालय सहायक का नियुक्ति अधिकारी उप निदेशक माध्यमिक है। राजस्थान में 9 मंडल कार्यालय है उनके द्वारा वरिष्ठता निर्धारण एवं डीपीसी आयोजित करते हुए

विभागीय पदोन्नतियां की जाती है। प्रत्यर्थी संख्या 3 को अजमेर उप निदेशक द्वारा कार्यालय सहायक पद पर वर्ष 2004–05 में डीपीसी चयनोपरान्त पदोन्नति दी गई वरिष्ठता का मंडलवार निर्माण किया गया है। अतः प्रत्यर्थी संख्या 3 की वरिष्ठता अपीलार्थी से अधिक है। क्योंकि कार्यालय सहायक पद पर इनका चयन वर्ष 2003–04 में हुआ जो कि उचित एवं नियम संगत है। मंडल कार्यालायों द्वारा कार्यालय सहायकों की जारी वरिष्ता सूची के आधार पर निदेशालय स्तर पर कार्यालय अधीक्षकों को डीपीसी हेतु राज्य स्तरीय मिश्रित वरिष्ठता सूची का निर्माण कर कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर डीपीसी की जाती है। उक्तानुसार किये गये चयन के आधार पर श्री हेमंत गहलोत का प्रशासनिक अधिकारी पद पर वर्ष 2015–16 में चयन किया गया। अपीलार्थी ने समय–समय पर पदोन्नतियों के उचित लाभ प्राप्त करते हुए राजकीय सेवा पूर्ण की है। अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है।

हमने के विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

.....

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)